



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 / 10 श्रावण, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

**HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY
COMMISSION, SHIMLA**

Vidyut Aayog Bhawan, Block-37, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171 009

NOTIFICATION

Shimla the 31st July, 2025

No. HPERC/151-Vol-III-2081.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 92 and clause (zl) of sub-section (2) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 94—राजपत्र / 2025—01—08—2025 (4385)

2003), read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf as contained in the Electricity Act, 2003 and any other law for the present being in force, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission proposes to make the following Draft Regulations to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2024, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 4th November, 2024 and as required by sub-section (3) of Section 181 of the said Act and rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, the said Draft Regulations are hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said Draft Regulations will be taken into consideration, after the expiry of thirty (30) days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections/suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The text of the original Regulations and the Explanatory Memorandum for the proposed amendments is available on the Commission's website *i.e.* <https://www.hperc.org>.

The objections/suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Vidyut Aayog Bhawan, Block No. 37, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171 009.

DRAFT REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) (Amendment) Regulations, 2025.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Regulation 2.—In Regulation 2 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2024 (hereinafter referred to as the “Principal Regulations”), in clause (e), after the words “Regulatory Commission”, the words “and includes the Chairperson” shall be inserted.

3. Amendment of Regulations 6.—In Regulations 6 of the Principal Regulations, in sub-regulation (3), for the word “Chairperson”, the word “Commission” shall be substituted.

4. Amendment of Regulations 7, 8 and 14.—In Regulations 7, 8 and 14 of the Principal Regulations, for the word “Chairperson” wherever it occurs, the word “Commission” shall be substituted; and in sub-regulation (2) of Regulation 7, clauses (a) to (f) shall be renumbered as clauses (a) to (g).

5. Amendment of Regulation 19.—In Regulation 19 of the Principal Regulations, in sub-regulation (7) and in proviso to sub-regulation (10), the words “of the Commission” shall be omitted.

6. Amendment of Schedule.—In the Schedule to the Principal Regulations, after Sr. No. 20, the following Sr. No. 21 shall be added, namely:—

“21.	Adjudication of disputes under the Energy Conservation Act, 2001	Section 27 of the Energy conservation Act, 2001 & CBR 1(4).	50,000/-”.
------	--	---	------------

By order of the Commission,

Sd/-
Secretary.

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171 004, 31 जुलाई, 2025

सं०: वि०स०-विधायन-प्रा०/१-१/२०२३.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 31 जुलाई, 2025 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

मैं, शिव प्रताप शुक्ल, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा के नवम् सत्र का आह्वान सोमवार दिनांक 18 अगस्त, 2025 को अपराह्न 2.00 बजे से हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला में समवेत होने के लिए करता हूँ।

शिव प्रताप शुक्ल
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।

आदेश द्वारा:—

यशपाल शर्मा
सचिव,
हि० प्र० विधान सभा।

HIMACHAL PRADESH FOURTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla-171 004, the 31st July, 2025

No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2023.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 31st July, 2025 is hereby published for general information:—

In exercise of the powers conferred upon me by virtue of clause (1) of Article 174 of the constitution of India, I, Shiv Pratap Shukla, Governor of Himachal Pradesh, hereby summon the Fourteenth Vidhan Sabha to meet for its Ninth Session at 2.00 P.M. on Monday, the 18th August, 2025, in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha, Shimla.

SHIV PRATAP SHUKLA
Governor,
Himachal Pradesh.

By order:-

YASH PAUL SHARMA
Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्री लाल हुसैन पुत्र श्री मौला बकश, गांव रामपुर, डाकघर कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत मसरुंड, विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी।

विषय.—मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4066/2025, दिनांक 18-07-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/15401, दिनांक 15-07-2025, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) मृत्यु रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) प्रधान रिपोर्ट जिसमें श्री लाल हुसैन पुत्र श्री मौला बकश, गांव रामपुर, डाकघर कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) के दादा इलमू उर्फ इलमदीन पुत्र श्री सावन, ग्राम पंचायत मसरुंड की मृत्यु तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक के दादा इलमू उर्फ इलमदीन पुत्र श्री सावन, ग्राम पंचायत मसरुंड की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि प्रधान रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 15-07-2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री इलमू उर्फ इलमदीन पुत्र श्री सावन, ग्राम पंचायत मसरुंड, परगना धुन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 20-04-1984 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक के दादा श्री इलमू उर्फ इलमदीन पुत्र श्री सावन, ग्राम पंचायत मसरुंड, परगना धुन्धी की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव मसरुंड को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 22-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

बिमला देवी पुत्री श्री बलिया राम, गांव रूपणी, डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत रूपणी, विकास खण्ड चम्बा

प्रतिवादी।

विषय.— जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4048/2025, दिनांक 17-07-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/15189, दिनांक 11-07-2025, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) पैन कार्ड, (8) आधार कार्ड जिसमें आवेदिका बिमला देवी पुत्री श्री बलिया राम, गांव रूपणी, डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका बिमला देवी पुत्री श्री बलिया राम, गांव रूपणी, डाकघर राजनगर की जन्म तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 11-07-2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि बिमला देवी पुत्री श्री बलिया राम, गांव रूपणी, डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01-04-1952 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका बिमला देवी पुत्री श्री बलिया राम, गांव रूपणी, डाकघर राजनगर की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव रूपणी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 22-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री गणेश बहादुर पुत्र स्व0 श्री ब्यास देव, गांव भण्डार, डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत रूपणी, विकास खण्ड चम्बा

प्रतिवादी।

विषय.—मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4049/2025, दिनांक 17-07-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/15399, दिनांक 15-07-2025,

(2) शपथ पत्र आवेदक, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) मृत्यु रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) प्रधान रिपोर्ट जिसमें श्री गणेश बहादुर पुत्र स्व० श्री ब्यास देव, गांव भण्डार, डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०) के भाई श्री संदीप कुमार पुत्र श्री ब्यास देव, ग्राम पंचायत रूपणी की मृत्यु तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक के भाई श्री संदीप कुमार पुत्र श्री ब्यास देव, ग्राम पंचायत रूपणी की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि प्रधान रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 15-07-2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री संदीप कुमार पुत्र श्री ब्यास देव, ग्राम पंचायत रूपणी, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 12-08-2008 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक के भाई श्री संदीप कुमार पुत्र श्री ब्यास देव, ग्राम पंचायत रूपणी, परगना राजनगर की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव रूपणी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 22-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मानो देवी पुत्री श्री रघु राम, गांव सनोगा, डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०) वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत रूपणी, विकास खण्ड चम्बा

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना०) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4085/2025, दिनांक 19-07-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/3984, दिनांक 18-02-2025, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) पैन कार्ड (8) आधार कार्ड, जिसमें आवेदिका मानो देवी पुत्री श्री रघु राम, गांव सनोगा, डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०) की जन्म तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका मानो देवी पुत्री श्री रघु राम, गांव सनोगा, डाकघर राजनगर का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 18-02-2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मानो देवी पुत्री श्री रघु राम, गांव सनोगा, डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01-07-1943 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका मानो देवी पुत्री श्री रघु राम, गांव सनोगा, डाकघर राजनगर की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव रूपणी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 22-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bharmour,
District Chamba (H.P.)**

Sanjay Kumar s/o Thogla Ram, r/o Village Majharan, P.O. Holi, Tehsil Holi, District Chamba (H.P.).

Bharti d/o Khem Chand, r/o House No. 25, Durgayana Colony Daligarh, Near by Baba Balak Nath Mandir, Babyal, Distt. Ambala Haryana . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Notice for Registration of Marriage.

Applicants Shri Sanjay Kumar s/o Thogla Ram, r/o Village Majharan, P.O. Holi, Tehsil Holi, District Chamba (H.P.) and Smt. Bharti d/o Khem Chand, r/o House No. 25, Durgayana Colony Daligarh, Near by Baba Balak Nath Mandir, Babyal, Distt. Ambala Haryana have filed an application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit in the court of the undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 18-04-2024 as per Hindu rites and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 06-09-2025. The objections received after 06-09-2025 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 15-07-2025 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bharmour, District Chamba (H.P.).

**ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० : 43 ना० तह०/वाचक/उप तह०/तेलका/2025-514-15

दिनांक : 21-07-2025

महिन्द्र कुमार पुत्र राज कुमार, गांव सुन्धार, डाकघर पन्ताह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेशवादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत करवाल, विकास खण्ड सलूणी

.....प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र
संख्या:—HFW-B&D/CMO-CBA/2025-131330 Dated 12-06-2025.

2. शपथ-पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र
5. आधार कार्ड
6. परिवार नकल

जिसमें आवेदक महिन्द्र कुमार पुत्र राज कुमार, गांव सुन्धार, डाकघर पन्ताह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के बेटे सूरज कुमार की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक के बेटे सूरज कुमार का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 12-06-2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री सूरज कुमार पुत्र महिन्द्र कुमार पुत्र राज कुमार, गांव सुन्धार, डाकघर पन्ताह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 11-11-2013 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक के बेटे सूरज कुमार पुत्र महिन्द्र कुमार, गांव सुन्धार, डाकघर पन्ताह की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव करवाल को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 21-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

CHANGE OF NAME

I, Indira w/o Sh. Bhim Singh, r/o Village Fatehpur Sadhori, P.O. & Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Divyansh to Abhishek. All concerned please note.

INDIRA
w/o Sh. Bhim Singh,
r/o Village Fatehpur Sadhori,
P.O. & Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Bal Krishan s/o Late Sh. Tek Chand, r/o Village Jharashli, P.O. Jhagtan, Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Bal Krishan Thakur in the school records of my son Ketan Thakur's DAV Saraswati Nagar (Sawra), District Shimla (H.P.). Therefore it should be corrected as Bal Krishan in the school records. Note the relevant information.

BAL KRISHAN
s/o Late Sh. Tek Chand,
r/o Village Jharashli, P.O. Jhagtan,
Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Dinesh Kumar s/o Sh. Devi Singh, r/o Village Sehal, P.O. Jai Nagar, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Divanshu Verma to Divyanshu. Please note all concerned for further.

DINESH KUMAR
s/o Sh. Devi Singh,
r/o Village Sehal, P.O. Jai Nagar,
Tehsil Arki, District Solan (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Sanju w/o Sh. Bal Krishan, r/o Village Jharashli, P.O. Jhagtan, Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Sanju Devi Thakur in the school records of my son Ketan Thakur's DAV Saraswati Nagar (Sawra), District Shimla (H.P.). Therefore it should be corrected as Sanju in the school records. Note the relevant information.

SANJU
w/o Sh. Bal Krishan,
r/o Village Jharashli, P.O. Jhagtan,
Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Brij Lal s/o Sh. Ram Dass, r/o Village Tatoa, P.O. Sai, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) Pin-173 205 do hereby solemnly affirm and declare that my minor son's name has mistakenly entered in the Aadhar Card, having No. 7819 0297 8919 as Jaspal. Now I want to correct my minor son's name in the Aadhar Card as Yash Pal from Jaspal. Please concerned note.

BRIJ LAL
s/o Sh. Ram Dass,
r/o Village Tatoa, P.O. Sai,
Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Deep Chand s/o Sh. Girdhari Lal, r/o Village & P.O. Saddun, Tehsil Shahpur, District Kangra (H.P.) declare that my Aadhar Card my name is entered as Kuldeep Kumar incorretly. My correct name is Deep Chand. Concerned note.

DEEP CHAND
s/o Sh. Girdhari Lal,
r/o Village & P.O. Saddun,
Tehsil Shahpur, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Jyoti Devi w/o Sh. Arun Jasrotia, r/o Village Kharol P.O. Gangath, Sub-Tehsil Gangath, District Kangra (H.P.) declare on oath that I have changed my son's name from Vivaan Singh Jasrotia to Uday Jasrotia. Concerned note.

JYOTI DEVI
w/o Sh. Arun Jasrotia,
r/o Village Kharol P.O. Gangath,
Sub-Tehsil Gangath, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Nago Devi w/o Sh. Pratap Singh Thakur, r/o Atter Niwas Panthaghatti, Tehsil & District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Nago Devi to Kanta Thakur. All concerned please may note.

NAGO DEVI
w/o Sh. Pratap Singh Thakur,
r/o Atter Niwas Panthaghatti,
Tehsil & District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Anita Thakur w/o Sh. Kalyan Singh Thakur, r/o Atter Niwas Panthaghatti, Tehsil & District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Atru Devi to Anita Thakur. All concerned please may note.

ANITA THAKUR
w/o Sh. Kalyan Singh Thakur,
r/o Atter Niwas Panthaghatti,
Tehsil & District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Mahesh Puri s/o Sh. Mehar Chand Puri, r/o House No. 123/1/7, Moti Bazar Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Mahesh Kumar Puri to Mahesh Puri for All purposes in future. Please note.

MAHESH PURI
s/o Sh. Mehar Chand Puri,
r/o House No. 123/1/7, Moti Bazar Mandi,
Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Bishan Singh s/o Late Sh. Sewa Dass, r/o Village Kothi, P.O. Ogli, Tehsil Sunni, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Bisham Singh (Previous Name) to Bishan Singh (New Name). All concerned please may note.

BISHAN SINGH
s/o Late Sh. Sewa Dass,
r/o Village Kothi, P.O. Ogli,
Tehsil Sunni, District Shimla (H.P.).
